न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 12/431

लाडबाई पत्नी श्री मोडू लाल जी जाति मीणा पेशा कृषि निवासी ग्राम रेठोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. भोजी राम आत्मज श्री रंगा जाति मीणा निवासी ग्राम रेठोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
2. धापू पुत्री रंगा जी पत्नी भंवर लाल जाति मीणा निवासी ग्राम रेठोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. बाबूलाल आत्मज श्री खाना जी जाति मीणा निवासी ग्राम खुरी तहसील नैनवा जिला बून्दी।
4. कमलेश आत्मज खाना जी जाति मीणा निवासी ग्राम रेठोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
5. लेखराज आत्मज श्री खाना जाति मीणा निवासी ग्राम रेठोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
6. भैरूलाल आत्मज श्री कल्याण जी जाति मीणा निवासी ग्राम रेठोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. हंसराज आत्मज श्री कल्याण जी जाति मीना निवासी ग्राम रेठोदा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 21.03.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2012 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत ग्राम रेठोदा तहसील नैनवा की आराजी खसरा नम्बर 1158 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 1159 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 11 बीघा 07 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा और वह उक्त भूमि की सहखातेदार इसी प्रकार ग्राम रेठोदा की अन्य भूमि कुल किता 05 की कुल रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र से प्रार्थी ने क्रय की थी जिस पर प्रार्थिया का निरन्तर

कब्जा चला आ रहा है । अप्रार्थीगण प्रार्थिया को उक्त भूमि पर से बेदखल करने एवं काश्त में रूकावट करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं है ।

3. अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह आराजी खसरा नम्बर 1158 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 1159 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा हिस्सा 1/2 उत्तरी साईड की पर तथा भूमि आराजी खसरा नम्बर 741 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 864 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 889 रकबा 18 बिस्वा पर से प्रार्थिया को बेदखल नहीं करे, प्रार्थिया के खेती काश्त में रूकावट पैदा नहीं करे विकल्प में प्रार्थिया कमजोर महिला होने से इस आराजी पर प्रार्थिया के हितों की रक्षार्थ रिसीवर नियुक्त किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.07.2012 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.07.2012 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि ग्राम रेठोदा की आराजी कुल 05 किता की रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र से कल्याण आत्मज राधा किशन मीणा से प्रार्थी अपीलान्ट ने क्रय की थी इस सम्पूर्ण भूमि पर प्रार्थी खातेदारी व कब्जेदार थी । अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट प्रार्थी के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत करने लग गये हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त नहीं है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के नाम खातेदारी में दर्ज है और उक्त भूमि की रिकॉर्डेड खातेदार है और रिकॉर्डेड खातेदार के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिए । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2012 निरस्त फरमाया जाकर अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट काबिज काश्त है । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी अपीलान्ट क्लीन हैण्ड से नहीं आई है। वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट अपना कब्जा बताती है यदि उसका उक्त भूमि पर कब्जा है तो वह रिसीवर का अनुतोष क्यों चाह रही है ? उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा है और अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में कब्जेधारी का कब्जा प्रोटेक्ट करना चाहिए । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2012 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से साबित है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी अपीलान्ट के नाम खातेदारी में

दर्ज है । उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट काबिज काश्त है और कब्जेधारी व्यक्ति को विधिक प्रकिया अपनाकर ही कब्जे से बेदखल किया जा सकता है अस्थायी निषेधाज्ञा की आड में उसे बेदखल नहीं किया जा सकता ।

10. प्रस्तुत प्रकरण में स्वत्व अधिकारों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण के समय होगा अभी अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र की स्टेज पर हमे केवल इतना देखना है कि प्रथमदृष्टया प्रकरण किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना किसे है प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी पर कब्जा रेस्पोडेन्ट का है और कब्जेधारी व्यक्ति को विधिक प्रकिया अपनाकर ही कब्जे से बेदखल किया जा सकता है । इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में होना साबित नहीं है ।

11. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2012 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 21.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा